बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक –......................../ पटना, दिनांक –......................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति). –02/2015

प्रेषक,

एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय – वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ₹7851.00 (अठहत्तर करोड ऐकावन लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–DFP/B1-140/2013/267, दिनांक–28.03.2016 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **₹7851.00 (अठहत्तर करोड ऐकावन लाख) मात्र** सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–DFP/B1-146/2013/951, दिनांक–22.09.2014 द्वारा निर्धारित दिशा निदेश के अनुरूप की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹6117.00 लाख (एकसठ करोड़ सतरह लाख) मात्र** एवं मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड P2852807890102, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5428, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹1690.00 लाख (सोलह करोड़ नब्बे लाख) मात्र** तथा मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 08– उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड P2852087960101, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹44.00 लाख (चौवालीस लाख) मात्र** बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के राज्य योजना आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध है।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी करेंगे।

5. उक्त राशि का व्यय निदेशक (खा0 प्र0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना द्वारा की जायेगीं।

6. राशि का भुगतान संबंधित लाभुकों/इकाईयों को उनके बैंक खाता में RTGS/NEFT/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

8. योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक (खा0 प्र0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होगें।

कृ0पृ0उ0–02 पर.....

9. यह राशि योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि निकासी के लिए विपत्र कोड एवं योजना कोड का उल्लेख अनिवार्य रुप से करेंगे।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–28.06.2016 के मद सं0–14 में स्वीकृति संचिका सं0– *03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015* के पृ0 124/टि0 पर प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015* के पृष्ठ–128/टि0 पर दिनांक 11.7.16को प्राप्त है।

12. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक 2938 वि0(2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 7355/वि0(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –................................/ पटना, दिनांक –................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –................................/ पटना, दिनांक –................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि –निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, [illegible], खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय,उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –.....2491...../ पटना, दिनांक –.....11.07.16.....
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि –वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/2016
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
11.7.16